

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 11(8) ग्रावि/नरेगा/पदसृजन/2010

जयपुर, दिनांक

26 OCT 2012

जिला कलेक्टर एवं जिला कायक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
श्रीगंगानगर।

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित पदों के संबंध में।

संदर्भ:- आपका अ.शा. पत्र क्रमांक एमजीएनआरईजीएस/2011-12/704 दिनांक 07.06.12

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत आपके जिले में भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक व्यय 6 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो रहा है। प्रशासनिक व्यय को निर्धारित 6 प्रतिशत की सीमा में रखने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे। :-

1. आपके जिले की जिन पंचायत समितियों में कार्य की मांग अधिक नहीं है, उन पंचायत समितियों में पदस्थापित दो सहायक अभियंताओं में से एक सहायक अभियंता को हटाकर अन्य पंचायत समिति में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों को भी वहां से हटाकर अन्य जिलों में भेजा जा सकता है, जहां पर काम की अधिक मांग हो। अतः आप इस प्रकार अधिशेष कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायकों के नामों की सूची पंचायत समितिवार इस विभाग को भिजवावें ताकि अन्य जिलों से कार्मिकों की मांग लेकर अधिशेष कार्मिकों को उनसे सहमति लेकर अन्य जिलों में भिजवाया जा सके।
2. जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक सिविल/कृषि इंजिनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमाधारी नहीं हो, उसे हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। हटाने की कार्यवाही करने से पहले उन्हें सुनवाई का उपयुक्त अवसर देते हुए कार्यवाही की जावे। इसी प्रकार जो लेखा सहायक वाणिज्य स्नातक/सीए (इन्टर)/आईसीडब्ल्यूए (इन्टर)/सीएस (इन्टर) नहीं हो, उन्हें भी उपरोक्तानुसार सुनवाई का अवसर देते हुए उचित कार्यवाही की जा सकती है।

3. जिले की 320 ग्राम पंचायतों में से 310 ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायक अनुबन्ध पर लगे हुए हैं, जबकि कई ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग नहीं होने के कारण श्रमिकों का नियोजन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जिन ग्राम पंचायतों में रोजगार की मांग नहीं है, या बहुत कम है, वहां के ग्राम रोजगार सहायक के बारे में भी बिन्दु संख्या 1 की तर्ज पर कार्यवाही की जावे। ऐसी ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायकों की सूची भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितिवार इस विभाग को भेजें ताकि उन्हें भी उनसे सहमति लेकर अन्य जिलों में भिजवाया जा सके।

भवदीय

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा योजना, समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर।
3. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस